



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

पांग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

११/२१९
११/२१९

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 745]
No. 745]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 1998/कार्तिक 28, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 1998/KARTIKA 28, 1920

जल-भूतल परिषहन मंत्रालय

(सङ्केत पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1998

का० आ० 978(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और 8क प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, जल-भूतल परिषहन मंत्रालय (सङ्केत पक्ष) की दिनांक 10 जुलाई, 1998 की अधिसूचना सं० का०आ० 581(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में “17 अप्रैल, 2000” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “17 जून, 2000” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० आर इक्स्प्रू/एन ए४-15013/1/94-पी एल]

के० आर० भाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 1998

S. O. 978(E).—In exercise of powers conferred by sections 7 and 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Roads Wing) No. S.O. 581(E) of 10th July, 1998 namely :

In the said Notification, for the figures, letters and words “17th April, 2000” the figures, letters and words “17th June, 2000” shall be substituted.

[No. RW/NH-15013/1/94-PL]

K. R. BHATI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1998

का.आ. 979 (अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) की दिनांक 6 जून, 1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 432(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

इस अधिसूचना में “11 फरवरी, 2005” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “6 नवम्बर, 2005” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. आर डब्ल्यू/एन एच-15013/14/95-पी एल]

के.आर. भाटी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 1998

S.O. 979 (E).—In exercise of powers conferred by sections 7 and 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Roads Wing) No. S. O. 432(E) of 6th June, 1997 namely :

In the said Notification, for the figures, letters and words “11th February, 2005” the figures, letters and words “6th November, 2005” shall be substituted.

[No. RW/NH-15013/14/95-PL]

K.R. BHATI, Jt. Secy.